

# अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदेश/अवैध जमाबंदी एवं अधिनियम सं. 69/2018-19

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एवं कार्रवाई में

संबंधित।

दिनांक  
13/3/19

आदेश क्र. 2074/रज

अभियुक्ति

झारखंड सरकार के आदेश-2074/रज दिनांक-13.06.2016  
सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, नू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार  
विभाग का पत्र संख्या-3-खगो मउ निति-119/85/2308/रज दिनांक 03.09.1985 एवं  
सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रज दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश  
के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्रारंभ की  
गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया  
गया विवरणी निम्नवत है-

मौजा- खैरा मौजा नं- 06 खाता नं- 196


प्लॉट नं- 4334 रकबा 5030 की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद  
बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के  
पंजी-11 के जिल्द संख्या 01 के पृष्ठ संख्या 193 पर जमाबंदी रैयत भूतनाथ  
सिंह के नाम से कायम है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरांत उपर्युक्त विवरणी  
की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जॉच प्रतिवेदन से  
प्रतिष्ठित होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के  
आधार प/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार  
पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजि लाम एवं राज्य  
को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की  
सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950  
की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतः- उपरोक्त जॉच प्रतिवेदन पर अंचल-निरिक्षक का मंतव्य प्राप्त करे।

अभिलेख दिनांक 21/3/19 को रखे।

  
अंचल अधिकारी,  
धनबाद।

10/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक के प्रतिवेदन कार्य में जमाबंदी रद्द के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।  
अभिलेख दिनांक 22/4/19 को रखे।

अचल अधिकारी  
धनबाद।

10/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मताव्य सहित प्राप्त।  
प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक  
20/6/20 को रखे।

अचल अधिकारी  
धनबाद।


20/6/20


अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा  
बंगला मौजा नं० 55 खाता 196 प्लॉट  
नं० ..... रकबा ..... भूमि से संबंधित है। आवेदित  
भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रयत  
के खोज बिन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण दिना नोटिस का  
तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आवेदित  
भूमि दाखिल खारिज केस नं० ..... (.....) ..... के अनुसार कायम है।  
तत्कालीन अचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पंजी को सदेहास्पद माना गया  
है। जिसे संबंधित उप निरीक्षक एवं अचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द  
हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया

अचल अधिकारी  
धनबाद।

अतः जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि  
सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संशोधत।

  
20.6.20  
अचल अधिकारी,  
धनबाद।

  
20.6.20  
अचल अधिकारी,  
धनबाद।